न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 01/2019 अपील

श्रीमती रूकमा पुत्री श्री अन्नासिंह पोत्री लाखासिंह पत्नि श्री खीमसिंह रावत निवासी करमा का बाडिया, बदनोर जिला भीलवाडा हाल निवासी– पिपली का बाडिया, तहसील– भीम जिला राजसमन्द

–अपीलार्थी

बनाम

1. लालसिंह पिता लाखासिंह रावत निवासी–आण का बाडिया तहसील बदनोर
2. दूदसिंह पिता लाखासिंह रावत निवासी–चारभुजा फैक्ट्री के पास तहसील बदनोर
3. राजूसिंह पिता लाखासिंह रावत निवासी–चारभुजा फैक्ट्री के पास तहसील बदनोर
4. गोपालसिंह पिता लाखासिंह निवासी–चारभुजा फैक्ट्री के पास तहसील बदनोर
5. लाली पुत्री पिता श्री लाखासिंह रावत निवासी–हरणिया, मगरी मोगर तहसील बदनोर
6. मानी पुत्री लाखासिंह रावत निवासी–बदनोर तहसील बदनोर
7. तहसीलदार बदनोर

– प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 47 निर्णय दिनांक 27.07.1995 द्वारा तहसीलदार बदनोर

उपस्थित –
1. श्री छोटूलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री संजय सेन अधिवक्ता– रेस्पोडेण्ट सं. 01, 04 एवं 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25/11/.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार बदनोर के नामान्तरकरण सं. 47 निर्णय दिनांक 27.07.1995 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता अन्नासिंह के पिता लाखासिंह थे व उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा मोठी पंचायत क्षेत्र ओजियाणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हेक्टेयर आराजियात स्थित थी। अपीलाण्ट के पिता अनासिंह की मृत्यु पूर्व में ही हो गयी थी, तत्समय लाखासिंह जीवित थे तथा उनके पास ही अपीलाण्ट निवास कर रही थी तथा उक्त आराजियात दादाजी के साथ उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी। लाखासिंह की मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 ने गलत तरीके से पटवारी के साथ मिलकर उक्त वर्णित आराजियात केवल अपने नाम पर ही उक्त

नामान्तकरण खुलवा दिया जबकि उन्हे इस बात की जानकारी थी कि अनासिंह की पुत्री अपीलाण्ट भी जीवित होकर लाखासिंह के वारिस है। उक्त नामान्तकरण 47 को बिना जांच किये व उस पर यह बताते हुए कि सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे की जांच की गई अंकन सही बताकर रेस्पोडेन्टगण सं. 7 के समक्ष पेश करवाया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने भी बिना वारिसानों की जांच किये उक्त नामान्तकरण को बिना जांच परखें स्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट कानूनन रूप से उनके पिता अन्नासिंह की पुत्री तथा दादा लाखासिंह की पोत्री होकर वारिस है व उनके हक व हिस्से की मालिक होकर उक्त कृषि भूमि पर हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया है वो कानूनन रूप से सही नहीं है व सभी वारिसानों को रिकार्ड में नहीं दर्शाया है। नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 20.12.2018 को अपीलाण्ट को हुई जब वे उक्त भूमि में अपने हिस्से की नकल लेने पटवारी हल्का ओजियाणा के पास गयी तो पता चला कि उक्त भूमि सिर्फ रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 के नाम पर आई हुई है व उनके पिता अनासिंह के वारिस अपीलाण्ट का नाम नही लगाया है तथा न ही उनकी पुत्री रेस्पोडेन्टगण सं. 5 व 6 का नाम ही लगाया है तब अपीलाण्ट के द्वारा उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त करते हुए ये अपील अन्दर अवधि पेश कर रही है।

उक्त नामान्तरण कानूनन रूप से भी अवैध है क्योकि सम्पूर्ण वारिसानों को उतराधिकारी नही बनाया गया है फिर भी धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण सं. 47 दिनांक 27.07.1995 को निरस्त किया जाकर लाखासिंह के सभी वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम अपील के साथ मय शपथ पत्र पेश किया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता अन्नासिंह के पिता लाखासिंह थे व उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा मोठी पंचायत क्षेत्र ओजियाणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हेक्टेयर आराजियात स्थित थी। अपीलाण्ट के पिता अनासिंह की मृत्यु पूर्व में ही हो गयी थी, तत्समय लाखासिंह जीवित थे तथा उनके पास ही अपीलाण्ट निवास कर थी तथा उक्त आराजियात दादाजी के साथ उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी। लाखासिंह की मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 ने गलत तरीके से पटवारी के साथ मिलकर उक्त वर्णित आराजियात केवल अपने नाम पर ही उक्त नामान्तकरण खुलवा दिया जबकि उन्हे इस बात की जानकारी थी कि अनासिंह की पुत्री अपीलाण्ट भी जीवित होकर लाखासिंह के वारिस है। उक्त नामान्तकरण 47 को बिना जांच किये व उस पर यह बताते हुए कि सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे की जांच की गई अंकन सही बताते हुए कि सरपंच द्वारा

प्रमाणित सजरे की जांच की गई अंकन सही बताकर रेस्पोडेन्टगण सं. 7 के समक्ष पेश करवाया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने भी बिना वारिसानों की जांच किये उक्त नामान्तकरण को बिना जांच परखें स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 7 द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया है वो कानूनन रूप से सही नहीं है व सभी वारिसानों को रिकार्ड में नहीं दर्शाया है। अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण सं. 47 दिनांक 27.07.1995 को निरस्त किया जाकर लाखासिंह के सभी वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मोठी तहसील बदनोर में खातेदार लाखासिंह पुत्र जोधा रावत के फोत होने से विरासतन लालसिंह, दूदसिंह, राजूसिंह, गोपाल सिंह पिता लाखा सिंह एवं मु. धापू बेवा लाखा रावत सा. करमा का बाडिया के नाम गिरदावर रिपोर्ट पंचायत ओजियाणा सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे अनुसार नामान्तरकरण सं. 47 को तहसीलदार बदनोर द्वारा दिनांक 27.07.1995 को स्वीकृत किया गया जो विधि सम्मत हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज करायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम मोठी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा की कृषि आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 47 लाखा पिता जोधा रावत निवासी बदनोर के विरासत में तहसीलदार बदनोर द्वारा दिनांक 27.07.1995 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम मोठी के नामान्तरकरण संख्या 47 में अंकित भूमि के अपीलार्थी की पैतृक होने के आधार पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात के पैतृक होने के संबंध में जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की हैं। पैतृक सम्पति के हक व अधिकार के संबंध में उभय पक्षकारान् से साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना होता हैं। इसके लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दाद हासिल करना चाहिये। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदनोर के नामान्तरकरण सं. 47 निर्णय दिनांक 27.07.1995 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदनोर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-11-.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा